दिनांक 22.03.2021
प्रेस विज्ञप्ति 22/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना बसखारी

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर 01 जीवित 02 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 21.03.2021 की रात्रि थाना बसखारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोतिगरपुर के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मिथुन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बस्ती, जनपद अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना बसखारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 36/2021 धारा 382/411 भादवि, मु0अ0सं0 37/2021 धारा 382/411 भादवि व मु0अ0सं0 38/2021 धारा 379/411 भादवि में वाछिंत चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बसखारी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—मिथुन निवासी टैनी थाना पवई जनपद आजमगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 02 खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल।

<u>जनपद आजमगढ़/थाना कप्तानगंज</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 22.03.2021 को थाना कप्तानगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खिरिडीहा के पास से चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। जो थाना मुबारकपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 94/2020 धारा 392/411/120बी/34 भादवि व मु0अ0सं0 144/2020 धारा 307 भादवि में वाछिंत चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कप्तानगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—राजेन्द्र निवासी खिरिडिहा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

<u>जनपद बलिया/थाना बैरिया</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध कार्बाइन 30 जीवित कारतूस**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर 50 जीवित कारतूस**
- **02 फर्जी शस्त्र लाइसेन्स**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 21.03.2021 को थाना बैरिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान नौरंगा गांव से 02 अभियुक्तों 1—अमरेन्द्र, 2—राजू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध कार्बाइन 30 जीवित कारतूस, 01 अवैध तमंचा 315 बोर 50 जीवित कारतूस, 01 फर्जी शस्त्र लाइसेन्स, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बैरिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अमरेन्द्र निवासी नौरंगा थाना बैरिया जनपद बलिया।

2—राजू निवासी नौरंगा थाना बैरिया जनपद बलिया।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध कार्बाइन 30 जीवित कारतूस।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर 50 जीवित कारतूस।

3—01 फर्जी शस्त्र लाइसेन्स।

4—शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद सम्भल/थाना बहजोई

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 40 लाख रूपये कीमत की 510 पेटी अवैध अग्रेजी शराब**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस**
- **01 ट्रक बरामद**

दिनांक 22.03.2021 को थाना बहजोई व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त सुदेश उर्फ रोहित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 40 लाख रूपये कीमत की 510 पेटी अवैध अग्रेजी शराब, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 ट्रक बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सहारनपुर व जनपद सम्भल के विभिन्न थानो में आबकारी एक्ट आर्म्स एक्ट आदि के 03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बहजोई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुदेश उर्फ रोहित निवासी ततारपुर थाना बछरायूं जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1—लगभग 40 लाख रूपये कीमत की 510 पेटी अवैध शराब।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

3—01 ट्रक।

जनपद हापुड/थाना हापुड नगर

- **02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल**
- **01 मोटर साइकिल का इंजन**
- **चोरी की हुई मोटर साइकिलो के रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट**
- **05 फर्जी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट**
- **मोटर साइकिल चोरी में प्रयोग किये जाने वाले उपकरण आदि बरामद**

दिनांक 21.03.2021 को थाना हापुड नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान एनसीआर क्षेत्र से 02 शातिर वाहन चोर 1—अनिल, 2—राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 08 मोटर साइकिल, 01 मोटर साइकिल का इंजन, चोरी की हुई मोटर साइकिलो के रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट, 05 फर्जी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट, मोटर साइकिल चोरी में प्रयोग किये जाने वाले उपकरण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है। अभियुक्त अनिल के विरूद्ध जनपद मेरठ, गाजियाबाद, हापुड व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानो में धोखाधड़ी, चोरी आदि के 13 अभियोग व अभियुक्त राहुल के विरूद्ध जनपद मेरठ, व हापुड़ के विभिन्न थानो में धोखाधड़ी व चोरी के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तो द्वारा जनपद गाजियाबाद, मेरठ, हापुड, व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थाना क्षेत्रों से दो पहिया वाहन की चोरी कर ग्राहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना हापुड नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अनिल निवासी करनावल थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

2—राहुल निवासी करनावल थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—चोरी की 08 मोटर साइकिल।

2—01 मोटर साइकिल का इंजन।

3—चोरी की हुई मोटर साइकिलो के रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट।

4—05 फर्जी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट।

5—मोटर साइकिल चोरी में प्रयोग किये जाने वाले उपकरण आदि।

जनपद बिजनौर/थाना नगीना

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **06 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र, 05 जीवित कारतूस**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 21.03.2021 की रात्रि थाना नगीना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रायपुर रोड पर बन्द पडे क्रेशर के अन्दर बने दो मंजिल खण्डहरनुमा मकान से अवैध शस्त्र संचालित कर रहे 02 शातिर अभियुक्त 1—शहजाद, 2—धर्मवीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 06 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र, 05 जीवित कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण व पूर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, अभियुक्त शहजाद के विरूद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, जुआ एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 7 अभियोग एवं अभियुक्त धर्मवीर के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद व जनपद बिजनौर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 5 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नगीना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शहजाद निवासी मो0 कलालान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर।

2–धर्मवीर निवासी मो0 कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर।

<u>बरामदगी</u>

1–06 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र, 05 जीवित कारतूस।

2–शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

<u>जनपद मुरादाबाद/थाना सिविल लाइन</u>

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **ठगी के 02 लाख 91 हजार रूपये नगद**
- **01 चार पहिया वाहन, 04 मोबाइलफोन आदि बरामद**

दिनांक 21.03.2021 को थाना सिविल लाइन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बैंक आफ बडौदा एटीएम के पास से चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्त 1–प्रवीन उर्फ अनिल, 2–राहुल उर्फ भोला, 3–रवि कुमार, 4–धर्मेन्द्र उर्फ लाला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से ठगी के 02 लाख 91 हजार रूपये नगद, 01 चार पहिया वाहन, 04 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त दिनांक 15.03.2021 को अल्टीमेट पैथोलोजी सेन्टर के कैशियर को अज्ञात व्यक्तियो द्वारा झांसे में लेकर रूपयो का थैला बदल कर कागज के नोटो की बनी गड्डी देकर ठगी की घटना कारित की गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 223/2021 धारा 420/406 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रवीन उर्फ अनिल निवासी हिसवाडा थाना बावरी जनपद शामली।

2–राहुल उर्फ भोला निवासी मारिश थाना एटा जनपद एटा।

3–रवि कुमार निवासी टी–517 मंगोलपुरी थाना मंगोलपुरी दिल्ली।

4–धर्मेन्द्र उर्फ लाला निवासी म0नं0 601 ब्लाक टी मगोलपुरी दिल्ली।

बरामदगी

1–ठगी के 02 लाख 91 हजार रूपये नगद।

2–01 चार पहिया वाहन।

3–04 मोबाइल फोन आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना नगला खंगर

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 22.03.2021 को थाना नगला खंगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वीरई हाई–वे अण्डरपास से चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त कन्हैया को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, अपहरण, लूट, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आदि के 15 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद फिरोजाबाद से वाछिंत चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नगला खंगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कन्हैया निवासी नगला धनपाल थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस।

साइबर काइम—

अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर द्वारा साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम, लखनऊ एवं पुलिस उपाधीक्षक/नोडल अधिकारी साइबर क्राइम पुलिस थाना कानपुर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम पुलिस थाना कानपुर के कुशल नेतृत्व में आवेदक श्री अरविन्द कुमार वर्मा निवासी ग्राम— भूसेपुर, पोस्ट— गजनेर थाना—घाटमपुर कानपुर नगर द्वारा दिनांक— 17.03.2021 को साइबर क्राइम पुलिस थाना कानपुर नगर में प्राप्त प्रार्थना पत्र जिसमें आवेदक के एसबीआई खाते से बिना जानकारी के अज्ञात द्वारा रू0 2,81,000/— की धोखाधडी कर ली गई थी। उक्त प्रार्थना पत्र पर त्वरित कार्यवाही करते हुये सम्बंधित बैंक से संपर्क कर 2,81,000/— रुपये की सम्पूर्ण धनराशि को पीड़ित के सोर्स अकाउन्ट में वापस कराये गये। रकम को खाते में वापस पाकर आवेदक अत्यन्त प्रसन्न हूआ व त्वरित कार्यवाही के लिए पुलिस टीम की भूरि—भूरि प्रशंसा की।

ज्ञातव्य है कि साइबर क्राइम थाना स्थापित होने के बाद अब तक आवेदकों के प्रार्थना पत्र पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कुल रकम 11,62,451/—रुपए आवेदकों के सोर्स एकाउन्ट में वापस कराए जा चुके हैं तथा कुल 16 अभियोग पंजीकृत कर लगभग 6,46,101/—रुपए की धनराशि संदिग्ध बैंक खातों में फ्रीज कराई गई है।

जनपद बाराबंकी/थाना मो0पुरखाला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 65 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना मो0पुरखाला पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/302 भादवि व 3(2)(5)एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त 1—लाला, 2—छोटन्ने, 3—वली उर्फ अकबर अली, 4—मो0सलीम, 5—सनीफ, 6—कुददूस, 7—परसू को आजीवन कारावास की सजा व 65 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद एटा/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जनपद एटा द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 354 भादवि व 8 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त नेक्से उर्फ बीरपाल को 05 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

एस0टी0एफ0— दिनांक 05.05.2019 को थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ में दरोगा से हुई सरकारी पिस्टल (09 MM), मैग्जीन व कारतूस की लूट की सनसनीखेज घटना का अनावरण करते हुए लूट की घटना में शामिल अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटी गयी पिस्टल मय मैगजीन बरामद।

आज दिनांक 22.03.2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 की फील्ड इकाई प्रयागराज की नवगठित जंगल टीम द्वारा दिनांक—05.05.2019 को थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ में दारोगा से हुई सरकारी पिस्टल 09 MM लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुये लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटी हुई सरकारी पिस्टल 09 MM (प्रतिबन्धित बोर), मय मैगजीन व घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

1— विशाल पासी पुत्र राम अंजोर पासी उम्र 21 वर्ष, निवासी पारस नगर, कल्यानपुर, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

सहअभियुक्त का विवरणः—

1— **एचएस नं0 95 ए थाना महेशगंज** मो0 मुस्तफा पुत्र मो0 अनीस उर्फ पप्पू निवासी बेलाही सरायखानदेव थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ **(जो वर्तमान समय में मु0अ0सं0 261/2019 धारा 302, 120 बी व 34 भादवि थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ से जेल में निरूद्ध है)**

बरामदगीः—

1— एक अद्द सरकारी पिस्टल 09 MM जिसपर 09 MM1A RDL-2001 अंकित है तथा जिसका नम्बर खुरच देने के कारण अस्पष्ट हो गया है। (लूटी हुयी)

2— एक अदद मैगजीन 09 MM|

3— एक अदद नीले रंग की बाइक बजाज CT 100 नम्बर HR 51 BH 7540 **(जो घटना में प्रयुक्त हुयी थी)**

गिरफ्तारी का समय व स्थानः—

दिनांक 22.03.2021 समय 16:50 बजे डेरवा कुण्डा रोड, थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों, अवैध अस्लहों की तस्करी, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं जाली मुद्रा की तस्करी की रोकथाम हेतु एवं अगामी पंचायात चुनाव को देखते हुये विशेष सर्तक रहने हेतु एस0टी0एफ0 की

विभिन्न टीमों/इकाइयों को अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज की नवगठित जंगल टीम द्वारा श्री नवेन्दु कुमार पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज के नेतृत्व में सूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम मे ंआज दिनॉक–22.03.2021 को उ0नि0 वेद प्रकाश पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 अनिल कुमार सिंह, हे0कां0 प्रभन्जन पाण्डेय, हे0का0 साजित अली, का0 प्रवीण जायसवाल व का0 उदय प्रताप सिंह की एक टीम थाना महेशगंज क्षेत्र प्रतापगढ में ंभ्रमणशील थी कि जरिये मुखबिर ज्ञात हुआ कि वर्ष 2019 में लोक सभा चुनाव के समय उप निरीक्षक राम बहादुर सिंह, प्रशिक्षणाधीन पीटीएस उन्नाव, की सरकारी पिस्टल 9एमएम (प्रतिबन्धित बोर) को मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट ली गयी थी। लूटी हुई उक्त सरकारी पिस्टल को विशाल पासी पुत्र राम अंजोर पासी, निवासी पारस नगर, कल्यानपुर, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा लूट करके गुप्त स्थान रखा गया था, जिसे आज पंचायात चुनाव में उपयोग के लिए डेरवा कुण्डा रोड पर किसी को बेचने जा रहा है। मुखबिर की उक्त सूचना पर विश्वास करते हुए थाना महेशगंज के हुलासगढ गॉव के पास एस0पी0 ब्रिक्स फील्ड पहूॅचकर वही मय मुखबिर के विशाल पासी का इन्ज़ार करने लगा एवं समय करीब 16:50 बजे विशाल पासी को गिरफ्तार करते हुये उसके पीठ पर लदे बैग से लूटी गई सरकारी पिस्टल मय एक अदद मैगजीन बरामद की गयी।

पूछताछ पर विशाल पासी ने बताया कि दिनांक 05.05.2019 को मैं अपनी मोटरसाइकिल से अपनी नानी के घर के बगल के गॉव का साथी मो0 मुस्तफा पुत्र मो0 अनीस उर्फ पप्पू निवासी बेलाही सरायखानदेव थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ के साथ जा रहा था कि कुण्डा जेठवारा रोड संसारीपुर मोड के ठीक पहले लगभग 17:30 बजे शाम को एक दरोगा जी अपने मोटरसाइकिल से वर्दी पहने हुए एवं पिस्टल को कमर में लगाये हुये अकेले जा रहे थे कि मौका पाकर हम लोगों ने उनकी सरकारी पिस्टल,मय मैगजीन व कारतूस के कमर से लूट कर भाग लिये थे। मोटरसाइकिल मो0मुस्तफा चला रहा था एवं मैं पीछे बैठा था। मैगजीन में मौजूद 10 कारतूस को हम लोगों द्वारा धीरे धीरे फायर कर खर्च कर दिया गया।

लूटी हुयी पिस्टल के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 092/2019 धारा 392 भादवि थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ पंजीकृत है तथा उक्त बरामद सरकारी पिस्टल के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 54/2021 थाना 25/27 आर्म्स एक्ट थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ में पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही जनपदीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———————